



2026: AHC: 30184-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **2938/2026**

लीला एवं 25 अन्य याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: दुबे अमित कुमार देवेंद्र नाथ, प्रभात कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अशोक कुमार पांडे, बब्बू राम, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दायर पूरक हलफनामा रिकॉर्ड पर लिया गया।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पांडे द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश पांडे को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बार में यह बयान दिया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, 17, 18 और 25, अर्थात् लीला, राजू सतवीर, हरेंद्र और गजब को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और इस तरह, वह उनकी ओर से इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और इसलिए, इसे वापस लेने के आधार पर खारिज किया जा सकता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. दिए गए बयान के आलोक में, याचिकाकर्ता संख्या 1, 17, 18 और 25 के संबंध में वर्तमान रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।
5. जहाँ तक अन्य याचिकाकर्ताओं का संबंध है, वर्तमान रिट याचिका दिनांक 24.01.2026 की एफ.आई.आर. को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिससे मुकदमा अपराध संख्या 40/2026, बी.एन.एस. की धारा 191(2), 191(3), 190, 61(2), 109, 130, 115(2), 352, 351(2), 324(2), 110 और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1932 की धारा 7, थाना- दादरी, जिला- गौतम बुद्ध नगर उत्पन्न हुआ है।
6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठा फंसाया गया है। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, विवादित एफ.आई.आर. रद्द किए जाने योग्य है।
7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने गैर-कानूनी जमावड़ा बनाने के बाद पीड़ितों पर लाठी, डंडा और लोहे की रॉड से हमला किया है, जिसके परिणामस्वरूप 7 व्यक्तियों, जैसे देशराज, जगदीश, देवेंद्र, वीरेंद्र, राजेंद्र, अजीत और श्रीनिवास को चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है। इसके अलावा, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता।
8. विद्वान ए.जी.ए. ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी' (2017) 2 SCC 779, 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य' (2021) SCC Online SC 315 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय आपराधिक अपील संख्या 843/2024, 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी व अन्य' में प्रतिपादित कानून पर भरोसा जताया।
9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर तर्कों, विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ताओं द्वारा गैर-कानूनी जमावड़ा बनाने के बाद किए गए हमले के कारण 7 व्यक्तियों/पीड़ितों, जैसे देशराज, जगदीश, देवेंद्र, वीरेंद्र, राजेंद्र, अजीत और श्रीनिवास को चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है, चोटों और विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को देखते हुए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इस तरह, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

10. अतः, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
11. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके जमानत आवेदनों पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाएगा और उनका निपटारा किया जाएगा।
12. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

10 फरवरी, 2026

के.एस.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"